

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक : प.1(ग)( )का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 17/13 ४२४

दिनांक : ८/६/१७

—: आदेश :—

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत लिपिक ग्रेड-ग के रिक्त पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.स.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1	11424030838	अराधना गौड़	10/13/1982	GEN	खण्डेला
2	11426144466	श्री रविन्द्र कुमार	3/30/1995	SC	जालोर

1. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
2. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. लिपिक ग्रेड-ग पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 20.04.2006 में वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
6. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
7. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।
8. नगर निकायों को आवंटित चयनित लिपिक ग्रेड-ग इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होंगे जिसको

संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत लिपिक ग्रेड-ग पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

9. उक्त नियुक्ति की कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 2338 / 2017 के अध्याधीन रहेगी।

अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वार्ड करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

  
(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक : प.1(ग)( )का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 17/ 13 ८२७ - १३ ८३४ दिनांक : ४ | ६ | १७  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
3. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद / पालिका, जालोर / खण्डेला।
4. अध्यक्ष / सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।
5. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
7. सम्बन्धित श्री ..... |
8. सुरक्षित पत्रावली |

  
(अलका मीणा)  
उप निदेशक (प्रशासन)